

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3 - Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 1978/पौष 14, 1899

No. 11] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 1978/PAUSA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विश्व मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1978

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि संकलित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 25 के अन्तर्गत सम्मिलित सीमेंट को, तब जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त सीमा-शुल्क से तथा उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त प्रतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 5/का० सं० एम० 49/77-टी० आर० यू० (सी० यू० एस०)]

जोसेफ होमिनिक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1978

CUSTOMS

G.S.R. No. 11(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cement, falling within Chapter 25 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1979.

[No. 5/F. No. S. 49/77-TRU(Cus)]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.